कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की विस्तृत रिपोर्ट

(COMPREHENSIVE REPORT OF KULSHRESTHA CANCER CARE CHARITABLE TRUST)

अपने पुत्र संकल्प के विवाह-उत्सव के अवसर पर दिनांक 7 दिसंबर 2012 को डॉक्टर यतेद्र कुलश्रेष्ठ के आग्रह पर पूरे परिवार एवं निकट सम्बन्धिओं की एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में डॉक्टर यतेन्द्र कुलश्रेष्ठ ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ईश्वर की कृपा और समय से पूरा उपचार मिल जाने के कारण उन्हें अपनी कैंसर जैसी भयानक बीमारी पर विजय पाकर एक नया जीवन दान स्वरुप प्राप्त हुआ है किंतु ऐसे हजारों- लाखों गरीब कैंसर रोगी हैं जो पैसे के अभाव में पूरा इलाज नहीं करा पाते और असमय काल के ग्रास बन जाते हैं। ऐसे गरीब कैंसर रोगियों को उपचार हेतु धन प्रदान कर उनके जीवन की रक्षा करने का विचार उनके मन में काफी समय से है और वह इसके लिए औपचारिक रूप से एक ट्रस्ट स्थापित करना चाहते हैं। इस के ट्रस्ट के माध्यम से वह गरीब कैंसर रोगियों को इलाज एवं पुनर्वास हेतु धन उपलब्ध कराने के साथ-साथ कैंसर के विशेषज्ञों तथा अस्पतालों के सहयोग से समाज में कैंसर के "पूर्व जांच एवं जागरूकता शिविर", गोष्ठियां, वर्कशॉप, साहित्य का वितरण इत्यादि कार्य करने के इच्छुक हैं। सभी उपस्थितिजनों ने सर्वसम्मति से इस पुनीत कार्य के लिए अपनी सहमति व्यक्त की तथा हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया ।

स्थापना: 8 जुलाई 2013 को विधिवत इस ट्रस्ट की स्थापना हुई ।

Link: scan copy of Trust Deed

ट्रस्ट का नाम: कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट (Kulshrestha Cancer Care Charitable Trust)

ट्रस्ट का अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण भारतवर्ष ।

ट्रस्ट का लक्ष्य: कैंसर जैसे भयानक रोग से मानव को मुक्ति दिलाना।

मूल पंजीकृत कार्यालय: 510 गनपति आशियाना सिकंदरा आगरा- 282007

वर्तमान पंजीकृत कार्यालय: 1401, टावर 12, लोटस बुलेवर्ड, सेक्टर 100, नोएडा - 201301

ट्रस्ट मंडल (Board of Trustees) की स्थापना: इस ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्ट मंडल (Board of Trustees) में ट्रस्टी बनना स्वीकार किया, ये सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से ट्रस्ट में कार्य करने के लिए सहमत हैं।
इनके नाम हैं -

डॉ श्रीमती योग्यता कुलश्रेष्ठ पत्नी डॉक्टर यतेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ।
श्रीमती मनीषा कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री अजित भावे।
डॉ पीयूषा कुलश्रेष्ठ पत्नी डॉ रवीन्द्र सक्सेना।
श्रीमती नीतिका कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री संकल्प कुलश्रेष्ठ।
श्री संपन्न कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री दिनेश प्रसाद कुलश्रेष्ठ।

ट्रस्ट के उद्देश्य:
1. निर्धन एवं जरूरतमंद कैंसर रोगियों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
2. कैंसर रोगी तथा उसके परिवार के पुनर्वास में सहयोग प्रदान करना।
3. सामाजिक संस्थाओं, समाजसेवियों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के सहयोग से कैंसर के जांच शिविर एवं जागरूकता शिविर आयोजित करना।
4. कैंसर के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु साहित्य प्रकाशित एवं वितरित करना एवं गोष्ठियां आयोजित करना।
5. उपर्युक्त लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त वे सभी कार्य जो ट्रस्ट मंडल की दृष्टि से कैंसर से लड़ने में सहायक हों।

Link: Objectives of the trust

लाभार्थी: कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना ट्रस्ट का लाभ जनता के सभी गरीब एवं जरूरतमंद कैंसर रोगियों को प्राप्त होगा। किसी भी ट्रस्टी को कोई भी पारिश्रमिक अनुमन्य नहीं होगा।

सलाहकार बोर्ड: ट्रस्टीज को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे ।
1. कुलश्रेष्ठ कल्याण समिति दिल्ली के पदेन अध्यक्ष।
2. ट्रस्ट मंडल द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्ति।
3. ट्रस्ट मंडल द्वारा नामित ऑन्कोलॉजी के दो विशेषज्ञ चिकित्सक।

ट्रस्ट का प्रवंधन: ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट मंडल अपने में से तीन पदाधिकारी चयनित/निर्वाचित करेगा।
1. अध्यक्ष। 2. सचिव। 3. कोषाध्यक्ष।

बैंक अकाउंट का संचालन: अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक के अकाउंट्स का संचालन किया जाएगा।

ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य:
1. वे सभी व्यय करने के अधिकार जो उनकी दृष्टि में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रवधनके लिए उपयोगी हों।
2. ऐसी किसी भी अचल संपत्ति को क्रय करने का अथवा किराए पर लेने का अधिकार जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रबंधनके लिए उपयोगी हो।
3. ट्रस्ट की किसी भी परिसंपत्ति को बेचने, किराए पर देने, पट्टे पर देने अथवा गिरवी रखने का अधिकार।
4. एक या अधिक बैंकों में ट्रस्ट के बैंक अकाउंट/अकाउंट्स खोलने का अधिकार।
5. ट्रस्ट के प्रबंधन हेतु सभी आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार।

6. ट्रस्ट के लिए धन, सामग्री, वस्तु अथवा अचल संपत्ति को दान, अनुदान अथवा सहायता के रूप में स्वीकार करने का अधिकार।
7. ट्रस्ट की किसी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु तदर्थ समितियां/ उपसमितियां गठित करने का अधिकार।

पदाधिकारियों का चुनाव / निर्वाचन: पदाधिकारियों का कार्यकाल समानत: 3 वर्ष का होगा। दिनांक 8 जुलाई 2013 को समस्त ट्रस्टियों एवं ट्रस्ट के सृजन करता डॉक्टर यतेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ की उपस्थिति में सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव/निर्वाचन सर्वसम्मति से किया गया।

अध्यक्ष: डॉ श्रीमती योग्यता कुलश्रेष्ठ W/o डॉ यतेन्द्र कुलश्रेष्ठ
सचिव: डॉ पीयूषा कुलश्रेष्ठ W/o डॉ रवीन्द्र सक्सेना
कोषाध्यक्ष: श्रीमती नीतिका कुलश्रेष्ठ W/o संकल्प कुलश्रेष्ठ
नोट: उपर्युक्त पदाधिकारी ही वर्तमान में ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों का चयन/निर्वाचन हर बार ट्रस्ट मंडल द्वारा स्वीकार किया गया है।

ट्रस्ट का विघटन: ट्रस्ट का विघटन होने की स्थिति में ट्रस्ट की समस्त चल/अचल संपत्ति ट्रस्ट मंडल द्वारा किसी ऐसे ट्रस्ट/समिति को हस्तांतरित की जाएगी जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के लगभग समान हों।

भविष्य की रूपरेखा
1. ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन।
2. ट्रस्ट का अकाउंट खोलना।
3. ट्रस्ट का पैन कार्ड बनवाना।
4. ट्रस्ट का आयकर की धारा 12A में रजिस्ट्रेशन कराना।
5. ट्रस्ट का आयकर की धारा 80G में रजिस्ट्रेशन कराना।
6. दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

अब तक की उपलब्धियां (Till date Achievements):

ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन: दिनांक 8 जुलाई 2013 को ट्रस्ट का विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है
1. रजिस्ट्रेशन तिथि: दिनांक 08.07.2013
2. रजिस्ट्रेशन नंबर: 331/517
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी: मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उपनिबंधक (द्वितीय) आगरा सदर।

ट्रस्ट का अकाउंट खोलना: दिल्ली-एनसीआर में आगे के कार्यक्षेत्र की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट का सेविंग बैंक अकाउंट दिनांक 26 अक्टूबर 2013 को बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर 18, नोएडा ब्रांच में खोला गया। नियमानुसार इस अकाउंट का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाना है।

Link: Details of trust account

ट्रस्ट का पैन कार्ड बनवाना: ट्रस्ट को विधिवत पैन नंबर प्राप्त हो गया है। पैन नंबर:AACTK2268C

Link: New PAN Card of trust

आयकर की धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण: ट्रस्ट का यह पंजीकरण आयकर अधिकारी (exemption) लखनऊ द्वारा प्रारंभ से स्वीकार कर लिया गया है।

Link: Approval for 12A

आयकर की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकरण: ट्रस्ट का आयकर की धारा **80G** के अंतर्गत पंजीकरण वर्ष 2017-18 से प्राप्त हो गया है।

Link: Approval for 80 G

दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन: आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी NGO/NPO का रजिस्ट्रेशन बैंक में KYC के लिए दर्पण पोर्टल(ngodarpan.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसको देखते हुए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दर्पण पोर्टल पर दिनांक **21-10-2024** को कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का Unique Id: UP/2024/0458571 है ।

ट्रस्ट की कल्याणकारी गतिविधियां (Charitable Activities of the trust)

कैंसर के प्रति जागरूकता एवं इसकी प्रारंभिक जांच के लिए शिविरों, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन: आम जनता विशेषकर सुदूर देहातों में रहने वाली अशिक्षित जनता के बीच कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु तथा कैंसर की प्रारंभिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने सन **2014** से दिल्ली एनसीआर में **30** कैम्प एवं कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कैंपों में चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न अस्पतालों तथा भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रीवेंशन एण्ड रिसर्च (**NICPR**) का सहयोग लिया गया।

Link: Camps and workshops list.
Link: Photographs of camps and workshops.

तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु लेक्चर एवं रेलियों का आयोजन: मानव शरीर पर तंबाकू का सेवन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अतिरिक्त अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव डालता है। उनके प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु आम जनता के बीच डॉक्टरों द्वारा लेक्चर एवं स्कूली बच्चों द्वारा रैलियां आयोजित की गईं।
Link: PPTs on tobacco awareness & photographs of rallies.

कैंसर पर पुस्तिका का प्रकाशन और निःशुल्क वितरण :
ट्रस्ट द्वारा कैंसर पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई , जिसमे विभिन्न प्रकार के कैंसरों के बारे में आसान जानकारी प्रदान की गई। इस पुस्तिका को कैम्पों में भाग लेने वाले लोगों को निःशुल्क वितरित किया गया

Link: Hindi Booklet

सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग:
आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर साप्ताहिक अवेयरनेस सीरीज नाम से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार के कैंसरों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।

Link English: Awareness Series
Link Hindi: अवेयरनेस सीरीज

स्थापना से लेकर 31 जनवरी 2025 तक ट्रस्ट का कुल आय-व्यय:

ट्रस्ट की कुल आय: ट्रस्ट की आय का एकमात्र स्रोत उसे अपने उदार दान दाताओं से प्राप्त दान की धनराशि है। यह कुल धनराशि 68 लाख 35 हजार 6 सौ 70 रुपये **₹68,35,670**) है।
सरकार से न तो हमें कोई ग्रांट प्राप्त होती है और न ही हम लेने के इच्छुक हैं।

Link: Total donations received by the Trust till 31 Jan. 2025.

ट्रस्ट द्वारा किया गया कुल व्यय: ट्रस्ट द्वारा निम्न लिखित परियोजनाओं में धनराशि व्यय की गई।

1. इलाज करा रहे गरीब कैंसर रोगियों को चिकित्सा हेतुआर्थिक सहायता प्रदान करना: AIIMS तथा **PGICH Noida** (Post graduate Institute of child health) जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का बच्चों का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, में इलाज करा रहे गरीब कैंसर रोगियों को ट्रस्ट द्वारा आर्थिक सहायता निरंतर प्रदान की जाती रही है। अपनी स्थापना के प्रारंभ से 31 जनवरी 2025 तक ट्रस्ट द्वारा ऐसे लाभार्थी गरीब कैंसर रोगियों को ₹**50 लाख** रुपए से अधिक की धनराशि (50 lakh, 25 Thousand, 9 Hundred, 93 only) प्रदान की जा चुकी है। लाभार्थियों का चयन करते समय ट्रस्ट की मूल भावना के अनुरूप मानवता को छोड़कर अन्य किसी बात जैसे उसकी जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

Link: Total Financial Aid provided by the trust till 31Jan 2025.

2. Expenditure on purchase of Hardware: ट्रस्ट द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के कुशल संचालन हेतु कुछ उपकरण ख़रीदे गए। जिनकी कुल खरीद धनराशि ₹1,33,046 है।

Link: Total expenditure on hardware.

3. Expenditure on organising camps and workshops: ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2014 से कुल मिला कर 30 "कैंसर पूर्व जांच एवं जागरूकता कैंप तथा वर्कशॉप" का आयोजन किया गया। प्रत्येक कैंप या वर्कशॉप के आयोजन में 15 से २० हजार ₹ का व्यय हुआ। यदि प्रति कैंप या वर्कशॉप के आयोजन में ₹17,000 रु का व्यय मान लिया जाए तो कुल व्यय लगभग ₹5,10,000 का हुआ।

Link: Camps and workshops.

4. Keeping corpus fund: वर्तमान में यह फण्ड ₹12 लाख की FDR बैंक के रूप में ट्रस्ट के पास है।

Link: Current FDR of Trust

आय और व्यय की समीक्षा:

दान से कुल आय: ₹68,35,670.10

कुल व्यय
1. गरीब कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर व्यय: ₹50,25,993.10
2. कॉर्पस फंड: ₹12,00,000.00
3. कैंसर शिविरों और कार्यशालाओं पर व्यय: ₹5,10,000.00
4. हार्ड वेयर की खरीद पर व्यय: ₹1,28,046.00

कुल खर्च: ₹68,34,039.10

इस प्रकार, 31 जनवरी 2025 तक कुल आय और व्यय लगभग बराबर हैं।

प्रशासनिक व्यय: ट्रस्ट को संचालित करने में सन् 2013 से सन् 2025 अर्थात लगभग 12 वर्ष में जो भी प्रशासनिक व्यय हुआ है उसे हमने कुशलतापूर्वक न्यूनतम रखते हुए ट्रस्ट को प्राप्त ब्याज के द्वारा पूरा किया है।

भारत सरकार से दो प्रश्न:

यह सर्व विदित है कि देश और विदेश में ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाएं (NGO/NPO) कार्यरत हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास एवं समाजोत्थान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गरीब एवं सर्व समाज के लिए ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से कल्याणकारी कार्य कर रही हैं। कोई भी सरकार जन जन तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। यह कार्य केवल NGO/NPO ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कार्य के प्रति समर्पित, दक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत समाज के समर्थ व्यक्तियों से प्राप्त दान की धनराशि होती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन्हें आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कुछ लाभ दिया करती है। यह चिंता का विषय है कि सरकार ने नई टैक्स योजना में इस प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया है।

किसी भी कल्याणकारी सरकार से ऐसे उपायों को प्रोत्साहन प्रदान करना अपेक्षित होता है जिनके द्वारा सरकार अपने ऊपर बिना बोझ डाले किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर अस्पताल का इलाज मुफ्त मिल सके। इसके लिए उसे स्वास्थ्य बीमा कराना होता है जिसके लिए उसे एक निश्चित धनराशि स्वास्थ्य,-प्रदाता कंपनी को देनी होती है। अपने देश में गरीबी एवं अशिक्षा के कारण वैसे ही ऐसे प्रबुद्ध एवं समर्थ व्यक्तियों की कमी है जो अपने या अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा कराएें। ऐसे व्यक्तियों को आयकर की धारा 80D के अंतर्गत कुछ छूट प्राप्त होती है जिसे दुर्भाग्य से नई आयकर नीति में समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार बजाए व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उल्टे स्वास्थ्य बीमा की धनराशि पर 18% जीएसटी लगाकर उसे और महंगा बना देती है। सरकार का यह कृत्य जनकल्याण की भावना के एकदम विपरीत है जिसे हर हाल में समाप्त किया जाना चाहिए।

अपील

अंत में हम अपने दानदातों से विनम्र अपील करते हैं कि वे इस संस्था अर्थात "कुलश्रेष्ठ कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट" को उदारता पूर्वक अपनी आय का एक छोटा सा भाग दान स्वरूप नियमित रूप से प्रदान करें ताकि संस्था कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित गरीब रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती रहे।

इसके लिए हमने बहुत ईमानदारी से कुछ मानक बना रखे हैं जिनके अंतर्गत आने पर ही किसी रोगी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहला मानक यह है कि किसी रोगी के साथ उसके धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एकमात्र मानक उसकी आर्थिक स्थिति एवं क्षमता है। दूसरे यह आर्थिक सहायता समान्यत: रोगी को नकद प्रदान नहीं की जाती बल्कि यह सहायता उसको उसके इलाज करा रहे अस्पताल के माध्यम से अथवा यदि उसे किसी दवा की जरूरत है तो वेंडर के माध्यम से प्रदान की जाती है।

सामान्यतः सरकार के प्रतिष्ठित अस्पतालों जैसे **AIIMS** Delhi**, PGICH** Noida और चैरिटेबल अस्पतालों जैसे Tata Memorial Hospital, Cancer Research Institute, Mumbai (**TMC**), The Bhagwan Mahaveer Cancer Hospital and Research Centre, Jaipur (**BMCHRC**) में इलाज करा रहे रोगियों को यह सहायता प्रदान की जाती है।

हम कैंसर रोगियों के दुर्भाग्यशील माता-पिता या संरक्षकों के कल्याण हेतु कुछ योजनाओं को शुरू करना चाहते हैं किंतु धनाभाव के कारण असमर्थ हैं। हमें आशा है कि हमें कुछ और नये उदार दानदाताओं का सहयोग प्राप्त होगा जो हमें इन योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए समर्थ बना सकें।